

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
सं. सं. ११/महा. (विधि) ५१/२०२०
अधिसूचना संख्या—४९१.(११.)....., दिनांक—०३.०७.२०२०

अधिसूचना

महामारी अधिनियम, १८९७ की धारा २, ३ और ४ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या—२०८ (११), दिनांक—१७.०३.२०२० द्वारा “बिहार महामारी कोविड—१९ विनियमावली, २०२०” जारी किया गया है।

उक्त विनियमावली, २०२० के विनियम १९ में विनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए शास्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अधीन दंडनीय बनाया गया है। अब बिहार सरकार ने शास्ति खंड को स्पष्ट और सरलीकृत करने और इसे शमनीय बनाने की आवश्यकता महसूस की है और इसलिए, महामारी अधिनियम, १८९७ की धारा २, ३ और ४ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार महामारी, कोविड—१९ विनियमावली, २०२० में आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियमों को जोड़ती है।

१. यह विनियमावली “बिहार महामारी, कोविड—१९ (संशोधन) विनियमावली” कहलाएगी।
२. यह अन्तःस्थापित की जाएगी और अन्तःस्थापित की गयी समझी जाएगी और तुरत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
३. विनियम १९, विनियम १९(क) को अन्तःस्थापित कर संशोधित की जा सकेगी।

विनियम १९(क)

एतद् द्वारा राज्य सरकार उक्त विनियमावली, २०२० के विनियम १९ (शास्ति) के अधीन यथा उपबंधित बिहार महामारी, कोविड—१९ विनियमावली, २०२० के किसी उपबंध का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा १८८ के अधीन दंडनीय अपराधों के शमन के लिए नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ—२ में विनिर्दिष्ट कार्यों को रोकने वाले आदेश अथवा विनियम के उल्लंघन पर उक्त अनुसूची के स्तंभ ३ में विनिर्दिष्ट राशि हेतु सभी जिला मजिस्ट्रेट और अपनी-अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत पदाधिकारियों को प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

क्र.सं.	अपराध	अपराध जिसका शमन किया जाना है के लिए राशि (रुपये में)
१	२	३
१	सार्वजनिक अथवा कार्य स्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और मुँह को समुचित रूप से ढकना) नहीं पहनने वाला कोई व्यक्ति।	रु५०/—

ह०/—

(उदय सिंह कुमावत)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 49) (11)
प्रतिलिपि :-

दिनांक:- 03.7.2020

1. मुख्य सचिव, बिहार
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार
4. माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
5. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार
6. माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, बिहार
7. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमुख स्वायत्त निकाय/शिक्षण संस्थान, बिहार
8. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी, बिहार
9. सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं/क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/सिविल सर्जन/प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार।

प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।